

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 08/2021 फोरलेन

### उनवान

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द-भीलवाड़ा सेक्शन) परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौड़गढ़, साईट-ऑफिस ए-8 सुभाषनगर, यू.आई.टी. के पीछे, भीलवाड़ा

-प्रार्थी

### बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी जी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा
2. गणपतलाल पिता मोहनलाल महाजन (नानेचा) निवासी पोटलां, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध  
सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा पारित अवार्ड  
क्रमांक 124 दिनांक 24.05.2017

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार शर्मा - अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।  
श्री भैरू लाल बापना - अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 की ओर से ।  
विपक्षी संख्या 1 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी ।



### आदेश

दिनांक :- 04.04.2023

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 124 निर्णय दिनांक 25.05.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन) तक के भूखण्ड को चौड़ा करने/चारलेन सड़क निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के अन्तर्गत ग्राम पोटलां तहसील-सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नंबर 1205 में से भूमि अवाप्त करने हेतु अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2329 (अ) दिनांक 28-09-2012 को प्रकाशित की गयी, जिसका जनसाधारण को सूचित करने हेतु अधिनियम की धारा 3ए (3) के तहत स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 24-11-2012 तथा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26-11-2012 को प्रकाशन किया गया। अधिनियम की धारा 3डी के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2906(अ) व 2909(अ) दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशित की गयी, जिसका जनसाधारण को सूचित करने हेतु अधिनियम 1956 की धारा 3जी(3) के तहत स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.10.2013 को तथा दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.10.2013 को प्रकाशन किया गया।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया गया कि दिनांक 06.06.2014 को जो अवार्ड पारित किया गया, उसमें वर्णित मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक 31.12.2014 तक अप्रार्थी हितधारी के बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुआ और न हमें कोई सूचनापत्र प्राप्त हुआ। चूंकि हितधारकों को दिनांक 31.12.2014 तक अवार्ड राशि का भुगतान नहीं हुआ था, इसलिये स्वयं परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निवेदन पर सक्षम अधिकारी ने हितधारकों को RFCTLARR Act 2013 के तहत अतिरिक्त अवार्ड राशि देने का आदेश दिनांक 25.05.2017 को पारित किया था, क्योंकि दिनांक 01.01.2015 को 2013 का RFCTLARR Act प्रभाव में आ चुका था। प्रार्थी का यह लिखना सरासर गलत है कि अप्रार्थी सं. 1 सक्षम अधिकारी ने अपने अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को रिव्यू करके अतिरिक्त अवार्ड पारित किया हो बल्कि उक्त अधिनियम 2013 के प्रभाव में आ जाने से ही स्वयं प्रार्थी के निवेदन पर उक्त अतिरिक्त अवार्ड बाबत पत्रावली कायम करके अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त अतिरिक्त अवार्ड पारित किया था जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार सही है क्योंकि 2013 के अधिनियम के प्रावधान उन हितधारकों को जिनकी की मूल्यवान भूमि सड़क निर्माण में अवाप्त की गयी है, उनको उचित प्रतिकर देने के लिये ही यह अधिनियम बनाया गया है।

अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में आगे यह भी अंकन किया कि उक्त अतिरिक्त अवार्ड दिनांकित 25.05.2017 में वर्णित प्रतिकर राशि को हितधारकों के बैंक खाते में बार-बार निवेदन किये जाने पर भी प्रार्थी पक्ष द्वारा जमा नहीं कराये जाने पर अप्रार्थी सं. 2 ने माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र सं. 19/2018 प्रस्तुत किया था जिसमें दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाकर मध्यस्थ महोदय द्वारा दिनांक 13.01.2020 को गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाकर अतिरिक्त अवार्ड में वर्णित प्रतिकर राशि का भुगतान निर्णय प्राप्ति के एक माह में किया जाना सुनिश्चित करने बाबत आदेश पारित किया गया था। स्वयं प्रार्थी के पत्र दिनांकित 09.02.2016 जो कि उन्होंने अप्रार्थी सं. 1 सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया था, उसमें स्वयं ने यह लिखा है कि अवार्ड में पारित प्रतिकर राशि को प्रार्थी पक्ष द्वारा हितधारकों के बैंक खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है, तभी वह वैध भुगतान की श्रेणी में आ पायेगा अन्यथा गलत रीति से कहीं भी प्रतिकर राशि को जमा करा दिये जाने को वैध भुगतान की श्रेणी में नहीं माना गया है। हितधारक अप्रार्थी सं. 2 अतिरिक्त अवार्ड में पारित प्रतिकर राशि प्राप्त करने का वैध रूप से अधिकारी है। मध्यस्थ महोदय द्वारा पूर्व में गुणावगुण पर अतिरिक्त प्रतिकर राशि के भुगतान के संबंध में विस्तृत निर्णय दिनांक 13.01.2020 को पारित कर दिया गया था तो उन्हीं आक्षेपों व आधारों को समाहित करते हुए प्रार्थी ने यह जो नया प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि एक ही विधिक बिन्दु को एक से अधिक बार किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से मियाद बाधित होने के कारण निरस्तनीय है।

अप्रार्थी का जवाब एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। परिवाद प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में यह महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ महोदय द्वारा पूर्व में गुणावगुण पर अतिरिक्त प्रतिकर राशि के भुगतान के संबंध में विस्तृत निर्णय दिनांक 13.01.2020 को पारित कर दिया गया था तो उन्हीं आक्षेपों व आधारों को समाहित करते हुए प्रार्थी ने यह जो नया प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह **रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त** से बाधित होने के साथ साथ बेरूनमियाद पेश होने से भी निरस्तनीय है । इस संबंध में अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया :-**2017 (2) RRT 1154**

दोनों पक्षों की विस्तृत बहस पर मनन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अतिरिक्त आदेश/अवार्ड और पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण सं. 19/2018 में दिनांक 13.01.2020 को पारित किये गये निर्णय पर गंभीरता पूर्वक मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन इस न्यायालय का यह मानना है कि प्रार्थी परिवादी द्वारा दिनांक 06.06.2014 को पारित किये गये अवार्ड में वर्णित राशि का भुगतान Beneficiaries के बैंक खाते में दिनांक 31.12.2014 तक नहीं किया गया जिससे **RFCTLARR Act 2013** के तहत विद्वान सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर ने दिनांक 25.05.2017 को जो अतिरिक्त आदेश/अवार्ड पारित किया वह विधि सम्मत है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 19/2018 में गुणावगुण पर जो विस्तृत आदेश दिनांक 13.01.2020 को पारित किया गया वह वैध है और उसी मामले को प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पुनः चुनौती देना **रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त** से बाधित होता है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।  
अतएव—

## आदेश

अतः परिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 उक्त विवेचनानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी एनएचएआई को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अतिरिक्त अवार्ड दिनांक 25.05.2017 में अंकित राशि का नियमानुसार भुगतान इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 19/2018 में दिनांक 13.01.2020 को पारित आदेश की पालना में नियमानुसार ब्याज एवं सोलेशियम राशि सहित शीघ्रातीशीघ्र अप्रार्थी संख्या 2 हितबद्ध लाभार्थी को करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 04-04-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



*Kashish*  
4/4/23  
(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)  
मीलवाड़ा  
(आर्बिट्रेटर)  
मीलवाड़ा